न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः— 12/17/2024 रजू दिनांकः 18.01.2024 रजि0 न0 2024/25

अपीलार्थीः—

श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री रविन्द्र सिंह, निवासी ग्रीन रेस्टोरेंट, नई सडक, मौहल्ला लादिया, अलवर तहसील अलवर जिला अलवर राज0 301001

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 20.02.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को तीन पृथक–पृथक आवेदन पत्र दिनांकः (आवेदनों में दिनांक अंकित नहीं है) प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 29.01.2024 को उपस्थित आवें।
4. वकील अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। अपील पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग का पत्र क्रमांक 10400 दिनांक 19.12.2023 संलग्न पेश किया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदनों के संबंध में सूचना उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना स्वंय आवेदक से संबंधित न होकर परपक्षीय सूचना है। राज्य सूचना आयोग के निर्णय दिनांक 03.07.2014 ऐसी सूचना अधिनियम 2005 की धारा 8(1) के अनुसार अदेयता की श्रेणी में आती है।
5. पत्रावली अवलोकन किया एवं अपील में संलग्न प्रत्यर्थी के पत्र दिनांक 19.12.2023 पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा पूर्व में अपीलार्थी की वांछित सूचना के संबंध में विनिश्चय कर अपीलार्थी को जवाब उपलब्ध कराया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना स्वंय से संबंधित न होकर तृतीय पक्षीय सूचना है। ऐसी सूचना अधिनियम 2005 की धारा 8(1) के अनुसार अदेयता की श्रेणी में आती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)